राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2021 अपील

शिवकुमार आत्मज छीतरमल अग्रवाल निवासी जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधि० विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर प्रकरण सं0 865/20 फैसल दिनांक 28–12–2020 एंव 18–02–2021

उपस्थित –

1. श्री जगदीशचन्द्र दाधीच अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.02.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व प्रकरण संख्या 865/20 निर्णय दिनांक 28.12.2020 एवं 18.02.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर की 6616 रकबा 0.08 बीघा में से अपीलार्थी को रकबा 0.01 बीघा का अतिक्रमी मान कर एकपक्षीय आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फरमाया गया। जिसकी जानकारी होने पर दो तरफा हेतू एंव एकपक्षीय आदेश को अपास्त करा सुनवायी हेतू प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–02–2021 को खारीज फरमा दिया जो विधि एंव तथ्यो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी का जिस आराजी सं0 6616 पर अतिक्रमण होना माना गया है वह आराजी राजस्थान राज्य के खातेदारी अधिकार की नहीं हैं। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल ऐसे व्यक्ति पर हो सकती हैं कि जिसका कि भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के अधिभोग कर रखा हो। अर्थात भूमि शब्द की परिभाषा भू–राजस्व अधिनियम में उपलब्ध नही हैं लेकिन भूमि शब्द को राज0 काश्तकारी अधि0 में परिभाषित किया गया हैं। तथा उक्त परिभाषा का अवलोकन करने पर भूमि का कोई भूधारक होना लाजमी हैं और वह खातेदार काश्तकार होगा। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी सं0 6616 का खातेदार मंदिर मूर्ति मदन मोहन स्थान देह हैं और मंदिर मूर्ति की ओर से उसके वाद मित्र नेक्सट फैन्ड पुजारी की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया हैं। और जो भूमि रेवेन्यू रेकार्ड में जिसके नाम दर्ज हैं वह प्रकरण में पक्षकार ही नहीं हैं। अन्य व्यक्ति के खातेदार की भूमि पर किसी का अतिक्रमण हैं तो थर्ड व्यक्ति के वनिस्पत खुद खातेदार ही बेहतर अवगत करवा सकता हैं कि उसके खातेदारी अधिकार पर अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण किया गया हैं। प्रस्तुत प्रकरण में मंदिर मूर्ति मदन मोहन जी स्थान देह के पुजारी की तरफ से कोई आवेदन ही प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

31–03–2021 तक के समय को क्षमित कराने हेतू धारा 05 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के अलग से प्रस्तुत हैं। प्रार्थना हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–12–2020 एंव 18–02–2021 को अपास्त फरमाया जावें तथा एक पक्षीय आदेश होने से प्रकरण को पुनः अजसिरे अपीलार्थी को जबाव साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुवे आदेश पारित करने हेतू अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावें।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को तलबी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम जहाजपुर की 6616 रकबा 0.08 बीघा में से अपीलार्थी को रकबा 0.01 बीघा का अतिक्रमी मान कर एकपक्षीय आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फरमाया गया। जिसकी जानकारी होने पर दो तरफा हेतू एंव एकपक्षीय आदेश को अपास्त करा सुनवायी हेतू प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18–02–2021 को खारीज फरमा दिया जो विधि एंव तथ्यो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी का जिस आराजी सं0 6616 पर अतिक्रमण होना माना गया है वह आराजी राजस्थान राज्य के खातेदारी अधिकार की नहीं हैं। धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल ऐसे व्यक्ति पर हो सकती हैं कि जिसका कि भूमि पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के अधिभोग कर रखा हो। आदेश 9 नियम 13 के प्रार्थना पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिपादित 1997 डब्ल्यू. सी. सी. यू0सी0 पेज 392 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार आदेश 9 नियम 13 के आवेदन पर साक्ष्य लिया जाना चाहिये, की अवहेलना कारित की हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–12–2020 एंव 18–02–2021 को अपास्त फरमाया जावें तथा एक पक्षीय आदेश होने से प्रकरण को पुनः अजसिरे अपीलार्थी को जबाव साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुवे आदेश पारित करने हेतू अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम जहाजपुर की आराजी नं. 6616 रकबा 0.08 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा भूमि पर पक्की दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह सही हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह गया पाया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम जहाजपुर की आराजी नं. 6616 रकबा 0.08 बीघा में से रकबा 0.01 बीघा भूमि पर पक्की दुकान का निर्माण कर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया वह सही हैं, उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती हैं।

अति. जिला कलक्टर

अपीलार्थी ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवायी का अवसर नही दिया जाकर एक तरफा कार्यवाही के जो आदेश पारित किया गया वह त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

जबकि पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं निर्णय का परीक्षण से जाहिर होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को सुनवायी एवं जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये, बावजूद इसके अपीलार्थी अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नही किया एवं न ही बहस हेतु उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय में आदेश दिनांक 28.12.2020 के पश्चात् अपीलाण्ट ने लगभग 02 माह पश्चात् प्रकरण में सुनवायी हेतु अवसर चाहा हैं, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर होने से अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया जो न्याय संगत ठहरता हैं, क्योंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवायी का पूर्ण अवसर दिया गया हैं।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी संख्या 6616 का खातेदार मंदिर मूर्ति मदन मोहन स्थान देह हैं, जिसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अतिक्रमण बाबत् कार्यवाही करने की अधिकारिता नही रखते हैं।

इस संबंध में यह है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप –6 विभाग के परिपत्र क्रमांक/3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु संख्या 5 अनुसार " मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होगें।" उक्त परिपत्र अनुसार मंदिर मूर्ति की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार दायित्वाधीन अधिकारी होने से, प्रश्नगत आराजी से अतिक्रमी को बेदखल करने का जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया हैं, वह विधिसम्मत प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 865/2020 निर्णय दिनांक 28.12.2020 व 18.02.2021 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)